रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 1994/श्रावण 5, 1916
No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 1994/SRAVANA 5, 1916

जल-परिवहन मंत्रालय

(पत्तन कक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1994

सा.का.नि. 596(अ).—केन्द्र सरकार, पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कोचिन पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) प्रथम संशोधन विनियम 1994

(1) 1. इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा (रियायत) प्रथम संशोधन विनियम, 1994 है।

2. भारतीय राजपत्र में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रकाशित करने की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे।

(2) कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम 1994 इसके आगे विनियम उक्त विनियम से अभिप्रेत है, विनियम 4 में उप विनियम (2) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात्:—

"टिप्पणी : अविवाहित कर्मचारियों जिसके आश्रित माता पिता बहन या छोटे भाई जो अपने कार्यस्थल से दूर है तो हर वर्ष में अपना स्वदेश जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है। यह रियायत उक्त कर्मचारी और उनके माता पिता, बहन एवं छोटे भाइयों को लागू होने वाले छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाओं के बदले में होंगे।"

(3) उक्त विनियमों मे विनियम 6 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"6 परिवार का निर्वचन :

परिवार शब्द का अर्थ यह है कि कर्मचारी के साथ रहने वाले पति पत्नी जो भी हो विधि सम्मत संतान तथा सौतेला संतान, माता-पिता, सौतेली माता, अविवाहित बहन तथा कर्मचारी के साथ रहने वाले छोटे भाई जो उस पर पूर्णत: आश्रित हो। जहां कर्मचारी का पति/पत्नि भी कोई राज्य या केन्द्रीय सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों/कारपोरेशन/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय में काम करता है और वहां छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाएं हैं तो पति या पत्नि किसी एक, दोनों के नहीं, वेतन के अनुसार ही परिवार को छुट्टी यात्रा रियायत ग्राह्य होगा। "परिवार" शब्द में केवल एक पत्नि ही शामिल है।

एक जारज शिशु का महत्व प्रदत्त करने पर गोद लेना न्याय संगत मान लिया है, यदि, कर्मचारी के वैयक्तिक नियमों के अधीन, दत्तक शिशु को वैध शिशु माना जायेगा

बड़े पुत्र या विवाहित बेटियां जो पति से तलाक, परित्यक्त या अलग हैं (विधवा बेटियां भी शामिल) और कर्मचारी के साथ जितने समय तक रहते हैं और उसपर पूर्णतः आश्रित करते हैं, वे भी परिवार में शामिल हैं।

विधवा बहनें जो कर्मचारी के साथ रहते हैं और उसपर पूर्णतः आश्रित हैं (बशर्ते कि उनके पिता यदि जीवित नहीं हैं या वे उक्त कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं) वे भी परिवार की परिभाषा में शामिल हैं।

परिवार का एक सदस्य जिनका पेंशन समेत सभी स्रोतों का आय- (पेंशन में हुई अस्थायी वृद्धि और पेंशन से समतुल्य मृत्यु व सेवा निवृत्ति उपदान सुविधा) या वृत्तिका आदि प्रति महीने 500/-रुपये से अधिक न होने पर कर्मचारी से पूर्णतः आश्रित होगा।

नोट: 1 पति/पत्नि या अविवाहित बेटियां सहित छोटे बच्चों के लिए "के साथ रहने वाले" सम्बन्धी शर्त हटा दिया है। "परिवार" की परिभाषा में आने वाले अन्य सदस्यों के लिए वर्तमान शर्त और नियंत्रण जारी होगा।

नोट: 2. यदि एक कर्मचारी अपने पति/पत्नि और आश्रित बच्चों को अपने मुख्य स्थान के अलावा दूसरे जगह पर छोड़ देता है तो उनके लिए आवास स्थल से स्वदेश तक छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कर्मचारी को दो वर्ष में एक बार या इंडिया में किसी जगह में चार वर्ष में एक बार, जो भी हो, अनुमति दी जाएगी, लेकिन परिवार द्वारा यात्रा किए गए कुल टूर या मुख्य स्थलों के बीच का टूर। कर्मचारी का कार्यस्थल और यात्रा किये गये स्थल/स्वदेश से, जो कम हो, प्रतिपूर्ति के लिए अधिक न हो जाए।

(4) उक्त विनियमों में विनियम 9 के उप-विनियम (1) में निम्नलिखित नोट शामिल किया जाए, अर्थात् --

नोट:--"जहां पति एवं पत्नि दोनों बोर्ड की सेवा में काम करता है या दोनों में एक राज्य या केन्द्रीय सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान/कारपोरेशन/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय आदि जहां छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा मिलती है, में काम करता है तो अपने विकल्प के अनुसार अलग-अलग जन्मस्थान की घोषणा करके दोनों अलग रूप से रियायत के लिए दावा दे सकते हैं, जो अपने परिवार के सम्बन्ध में रियायत के लिए विनियमों के साधारण व्यवस्थाएं नियम के अनुसार इस शर्त पर है कि यदि पति या पत्नि दूसरे के परिवार के सदस्य के रूप में सुविधा लेती है तो पति या पत्नि स्वतन्त्र रूप से अपने लिए रियायत मिलने के लिए हकदार नहीं होगा। तदनुसार बच्चे भी एक विशेष ब्लाक में माता-पिता दोनों में एक के परिवार के सदस्य के रूप में ही सुविधा के लिए हकदार होंगे। छुट्टी यात्रा रियायत सम्बन्धी अन्य सभी शर्तें विनियमों के साधारण व्यवस्थाओं के अनुसार जारी रहेंगे।"

(5) उक्त विनियमों के विनियम 18 में।

(क) उप-विनियम (1) के अन्त में निम्न लिखित वाक्य शामिल किया जाए।

"निलम्बन के दौरान कर्मचारी रियायत के लिए स्वीकार्य नहीं है, परन्तु उनके परिवार इसके लिए हकदार है।"

(ख) "उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित उपबन्ध शामिल किया जाए।

"बशर्ते कि जब एक कर्मचारी एक हफ्ते के अन्त में या सिर्फ छुट्टी के दिनों में ही यात्रा करता है तो छुट्टी रियायत नहीं दी जाएगी।"

(ग) उप-विनियम (3) के रूप में निम्नलिखित शामिल किया जाए।

"(3) अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान एक कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हकदार हो। ऐसे मामलों में दावा नीचे के अनुसार विनियमित की जाए:-

(क) स्वयं के लिए:--

कर्मचारी को छुट्टी यात्रा रियायत का दावा अपने पढ़ाई के स्थान से भारत में किसी भी स्थान पर कर सकता है, परन्तु प्रतिपूर्ति इस तरह दिया जायेगा कि मुख्यालय से भारत की किसी भी स्थान में जाने का खर्च और इसमें जो कम हो।

(ख) परिवार सदस्यों के लिए:--

(1) जब परिवार सदस्य कर्मचारी के अध्ययन स्थान में रहते हैं, तब प्रतिपूर्ति उपर्युक्त (क) में सूचित के अनुसार होगी,

(2) अध्ययन स्थान में नहीं रहते है तो प्रतिपूर्ति छुट्टी यात्रा रियायत सम्बंधी साधारण शर्तों के अनुसार होगी।

[फा. सं. पी.आर.-12016/25/94-पीई.1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद-टिप्पणी: दिनांक 29-2-64 के जी एस आर स. 312 द्वारा भारतीय राजपत्र में मुख्य विनियम प्रकाशित किये गये थे। तदनन्तर निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इन विनियमों में संशोधन किये गये थे:—

1. दिनांक 5-12-1967 के केरल राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18-11-67 का स. पी/ओ एम/59/67.

2. दिनांक 22-6-1976 के केरल राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 10-6-76 का सं. पी/ओ एम/32/74.

3 दिनांक 26-7-1977 के केरल राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 5-6-77 का सं. पी/2/1771/(11)/77.

4. 29-10-1977 का. स. पी. ई. एक्स-66/77—19-11-1977 का जी एस आर सं. 158.

5. दिनांक 7-7-1978 का सं. पी. ई. एक्स-34/78—दिनांक 29-7-78 का जी एस आर सं. 963.

6 दिनांक 7-7-1979 का स. पी. ई एक्स-30/79—दिनांक 21-7-79 का जी एस आर सं. 973.

7 दिनांक 20-3-81 का सं. पी डब्ल्यू/पी ई एक्स-29/79-जीएस आर स. 446 दिनांक 2-5-1981.

8 दिनांक 10-3-88 का सं. पी आर.-12016/14/87-पी ई— दिनांक 10-3-88 का जी एस आर सं. 336 (ई).

9 दिनांक 12-12-86 का सं. पी. आर.-12016/22/88-पी ई आई- जी एस आर स. 1172 (ई).

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

Ports Wing

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 1994

G.S.R. 596(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the

Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Employees (Leave Travel Concession) Amendment Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Scheduule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Cochin Port Trust hereby makes the following regulation to amend the C.P.E. (Leave Travel Concession) regulations, 1964, subject to the approval of the Central Government and the same is published herein as required under Section 124 of the said Act.

COCHIN PORT EMPLOYEES (LEAVE TRAVEL CONCESSION) FIRST AMENDMENT REGULATIONS, 1994

I. 1. These Regulations may be called "the Cochin Port Employees (Leave Travel Concession) First Amendment Regulations, 1994".

2. They shall come into force from the date on which Central Government's approval thereto is published in the Gazette of India.

II. In the Cochin Port Employees (L.T.C.) Regulations, 1964, hereinafter referred to as the said Regulations, in Regulation 4, below Sub-Regulation (2), the following Note shall be inserted, namely :—

"Note : Unmarried employees who have left their wholly dependent parents, sisters and minor brothers at their home town may also avail of the benefit of Leave Travel Concession to visit their home town every year. This concession will be in lieu of all other Leave Travel Concession facilities admissible to the employee himself and the aforesaid parents, sisters and minor brothers".

III. In the said Regulations, Regulation 6 shall be substituted by the following, namely :—

"6. Definition of family.—The term 'family' means an employee's wife or husband, as the case may be, residing with the employee, legtimate children and step-children, parents, Step-mother, unmarried sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the employee. Where the spouse of an employee is also employed in the Board's service|State or Central Government Departments|Public Sector Undertakings | Corporations | Autonomous Bodies|Local Bodies etc. which provide Leave Travel Concession facilities, the claim for the concession shall be preferred by one of them only and not both and the concession shall be admissible to the family on the scale admissible to the husband or wife. as the case may be.

Only one wife is included in the term 'family'.

An adopted child shall be considered to be a legitimate child, if, under the personal law of the employee, adoption is legally recognised as conferring on it the status of a natural child.

Major sons and married daughters who have been divorced abandoned or separated from the husband (including widowed daughters) are included in the term 'family' so long as they are residing with and wholly dependent upon the employee.

Widowed sisters residing with and wholly dependent upon the employee (Provided their father is either not alive or is himself wholly dependent on the employee concerned) are also included in the definition of 'family'.

A member of the family whose income from all sources including pension (inclusive of temporary increase in pension and pension equivalent of DCRG benefit) or stipend etc., does not exceed Rs. 500 p.m. is deemed to be 'wholly dependent' upon the employee.

Note : 1. For spouse and Minor children including unmarried daughters the condition "residing with"—has been waived. In the case of other members falling within the definition of 'family', the existing conditions and restrictions will continue to be in force.

Note : 2. In cases where the employee has left his|her spouse and the dependent children at place other than his|her Headquarters, he may be allowed Leave Travel Concession in respect of them from the place of their residence to home town in a block of 2 years or any place in India in a block of 4 years, as the case may be, but the reimbursement should in no case exceed the actual distance travelled by the family

or the distance between the Headquarters|place of posting of the employee and the place visited|hometown, whichever is less.

IV. In the said Regulations, in sub-regulation (1) of Regulation 9, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note : Where both husband and wife are employed in the Board's service, or either of them is employed in the State or Central Government Department Public Sector Undertakings|Corporations|Autonomous Bodies| Local Bodies etc. which provide Leave Travel Concession facilities, they could, at their option, choose to declare separate hometown and both of them may claim the concession separately under the normal provisions of Regulations|Rules in respect of the members of their respective families subject to the condition that if husband or wife avails the facility as a member of the family of the other, he or she will not be entitled for claiming the concession for self independently. Similarly, the children shall be eligible for the benefit in one particular block as members of the family of one of the parents only. All other conditions for admissibility of the Leave Travel Concession shall continue to be applicable as per normal provisions of the Regulations".

V. In the said Regulations, in Regulation 18 :

(a) the following sentence shall be inserted at the end of sub-regulation (1).

"The concession shall not be admissible to an employee under suspension, however members of his family are entitled to the concession".

(b) after sub-regulation (i), the following proviso shall be inserted :

"Provided that no Leave Travel Concession is admissible when an employee undertakes a journey during the weekned or any other period of holidays alone".

(c) The following shall be inserted as sub-regulation (3).

"(3) The concession shall be admissible to the employee while on study leave. In such cases, the claims are to be regulated as under :—

(a) For self :

Employee can avail leave travel concession from the place of study to any place in India|hometown, subject to the condition that the reimbursement of fare should be restricted to the fare admissible for travel between his Headquarters station and any place in India|hometown or actual expenditure, whichever is less.

(b) For the family members :

(i) When the family members are staying with the employee at the place of his study : the reimbursement will be as indicated at (a) above.

(ii) When not staying at the place of study : the reimbursement will be as under the normal terms and conditions of the Leave Travel Concession".

[F. No. PR-12016|25|94-PE-II]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE : The principal regulations were published in the Gazette of India vide GSR No. 312 dated 29-2-1964. The Regulations were subsequently amended vide the following Notifications :

1. No. P|OM|59|67 dated 18-11-1967 published in the Kerala Gazette dated 5-12-1967.
2. No. P|OM|32|74 dated 10-6-1976 published in the Kerala Gazette dated 22-6-1976.
3. No. P2|1771|(II)|77 dated 5-6-1977 published in the Kerala Gazette dated 26-7-1977.
4. No. PEX-66|77 dated 29-10-1977—GSR No. 158 dated 19-11-1977.
5. No. PEX-34|78 dated 7-7-1978—GSR No. 963 dated 29-7-1978.
6. No. PEX-30|79 dated 7-7-1979—GSR No. 973 dated 21-7-1979.
7. No. PW|PEX-29|79 dated 20-3-1981—GSR No. 446 dated 2-5-1981.
8. No. PR-12016|14|87-PE dated 10-3-1988—GSR No. 336(E) dated 10-3-1988.
9. No. PR-12016|22|88-PEI dated 12-12-1988 GSR No. 1172(E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994